राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

उद्देश्य

लक्ष्य

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की उपलब्धियाँ एवं विकसित मुख्य सुविधाएँः–

1. यौन रोग उपचार एवं नियंत्रण।
2. रक्त सुरक्षा।
3. एकीकृत परामर्श एवं जाँच केन्द्र (आई.सी.टी.सी.)
4. गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित परियोजनाऐं एवं लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाऐं।
5. कण्डोम प्रमोशन।
6. एच.आई.वी./एड्स एवं टी.बी. समन्वय कार्यक्रम।
7. अवसरवादी संक्रमणों हेतु निःशुल्क औषधि वितरण।
8. स्वास्थ्यकर्मियों हेतु बचाव।
9. कम्यूनिटी केयर सेन्टर।
10. ए.आर.टी. सेन्टर।
11. सेन्टीनल सर्विलैन्स।
12. सूचना, शिक्षा एवं संचार।
13. राजस्थान में एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को "छूआछूत एवं भेदभाव" (Stigma and Discrimination) से बचाने व इनके निवारण के लिए स्टेट लेवल रेडरसल ग्रीवेन्स कमेटी का गठन किया गया है।
14. E.Q.A.S. (External Quality Assurance Scheme) : के तहत एच.आई.वी./एड्स संबंधी जाँच की गुणवत्ता को कायम रखने हेतु चिन्हित एस.आर.एल. में जाँच केन्द्र प्रभारी एवं तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही जाँच रिपोर्ट को क्वालिटी चेक हेतु स्टेट रैफरल लैबोरट्री तथा नेशनल रैफरल लैबोरट्री स्तर पर भेजे जाते है।
15. मुख्य धारा परियोजना।

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम

एड्स एक संक्रामक रोग है। यह ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियेन्सी नामक वायरस (एच. आई.वी.) के संक्रमण से होता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे–धीरे कम कर शरीर को कमजोर बनाता है। इसके फैलने का प्रमुख कारण असुरक्षित यौन सम्पर्क एवं संक्रमित रक्त है। **वर्तमान में इसका पूर्ण उपचार संभव नही है। किन्तु इसको फैलने से रोका जा सकता है।**

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय चरण से प्राप्त हुए अनुभवों के आधार पर भारत में एचआईवी/एड्स के खिलाफ जंग में एक और कदम आगे बढ़ाते हुये कार्यक्रम का तीसरा चरण राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम – तृतीय (NACP-III) (2007–2012) 6 जून 2007 में प्रारम्भ किया गया है। राजस्थान राज्य में इसका क्रियान्वयन राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के माध्यम से किया जा रहा है। राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी की गतिविधियों के उद्देश्य, लक्ष्य एवं उनका विवरण निम्न प्रकार है –

उद्देश्य

(अ) एच.आई.वी. के संक्रमण के विस्तार को कम करना।

(ब) एड्स के करण राज्य में पडने वाले दीर्घकालीन प्रभावों के मुकाबले हेतु राज्य के संसाधनों का सुदृढ़ीकरण करना।

लक्ष्य

NACP-III का लक्ष्य आम जन वर्ग में एच.आई.वी. की प्रसार दर को रोकना तथा कम करना है।

राज्य में नये संक्रमित व्यक्तियों में 40 प्रतिशत तक की कमी लाकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा ।

एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम की गतिविधियाँ –

1. **यौन रोग उपचार एवं नियन्त्रण** : राज्य में कुल 47 एस.टी.डी. क्लिनिक मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय पर राज्य सरकार के एवं 46 एस.टी.डी. क्लिनिक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से कार्यरत हैं। इन एस.टी.डी. क्लिनिकों पर यौन रोगों के लिए निःशुल्क परामर्श व उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इन सभी सरकारी क्लिनिकों पर जाँच व दवाईयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।

Total No. of New Patients visit at STD clinics	Total 2009-10 (up to Nov. 09)
	50921

2. **रक्त सुरक्षा** : राजस्थान में 44 रक्त बैंक राज्य सरकार, 4 रक्त बैंक केन्द्र सरकार एवं निजी क्षेत्र के 33 सहित कुल 81 रक्त बैंकों के माध्यम से रोगियों को एच.आई.वी. मुक्त रक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। भारत सरकार (नाको) द्वारा राज्य के 45 रक्त बैंकों को आधुनिकीकरण हेतु चयनित किया गया है जिसमें से 11 मेजर रक्त बैंक, 25 जिला स्तर के रक्त बैंक, 2 मॉडल आर्ट ब्लड बैंक (जयपुर एवं उदयपुर के मेडिकल कॉलेज) एवं 5 रक्त अवयव पृथक्कीरण इकाई की स्थापना की जा चुकी है। जिनमें एक रक्त यूनिट से तैयार किये अवयवों से कई रोगियों को लाभ पहुँचाया जा रहा है एवं इन रक्त बैंकों में एच.आई.वी. सहित पाँच रोगों की जांच अनिवार्य की गई है।

Year	Blood samples screened	HIV Positive
(2009-10 up to Nov.)	279613	585

इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक/गैर सरकारी क्षेत्र में 14 रक्त अवयव पृथक्कीकरण इकाईयों की स्थापना द्वारा भी रक्त अवयव उपलब्ध करवाए जा रहे है।

3. **एकीकृत परामर्श एवं जाँच केन्द्र (ICTC)** : राज्य में 182 एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र कार्यरत है। इन सभी केन्द्रों पर एच.आई.वी./एड्स सम्बन्धी जानकारी, परामर्श एवं जांच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन केन्द्रों पर एच.आई.वी. से संक्रमित महिला से नवजात शिशु में संक्रमण के रोकथाम हेतु दवा गर्भवती महिला तथा शिशु को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

Total HIV tests at ICTC during the year 2009-10 (upto Nov. 09)	Tested	HIV +ve
	278420	5347

4. **गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाऐं (TI)** : गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित 55 परियोजनाओं के माध्यम से अधिक जोखिम वर्ग वाले समूह जैसे पेशेवर यौन कार्यकर्ता, पुरूष का पुरूष से संबंध रखने वाले, सुई के जरिये नशा करने वाले, रोजगार के लिये पलायन करने वाले तथा ट्रक चालकों को व्यवहार परिवर्तन, यौन रोग उपचार, निरोध वितरण तथा परामर्श आदि की सुविधाऐं उनके निवास/कार्यस्थल के पास उपलब्ध करवाई जा रही है।

5. **कण्डोम प्रमोशन** : सोसायटी द्वारा जनसामान्य के बीच कन्डोम उपलब्धता को सरल बनाने हेतु सभी एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रों एवं गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाओं में निःशुल्क एवं सोशियल मार्केटिंग के माध्यम से कण्डोम उपलब्धता है।

6. **एच.आई.वी./एड्स एवं टी.बी. समन्वय कार्यक्रम (RNTCP)** : राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में समन्वय हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। जिसके द्वारा दोनों कार्यक्रमों में उपलब्ध सुविधाओं से अवगत कराया जाता है, दोनों रोग से ग्रसित रोगियों का उपचार आपसी सहयोग द्वारा किया जाता है एवं आपसी रेफरल को बढ़ावा दिया जाता है।

7. **अवसरवादी संक्रमणों हेतु निःशुल्क औषधि वितरण** : एड्स रोगियों को कम लागत वाली चिकित्सा की उपलब्धता के अर्न्तगत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों व जिलास्तरीय अस्पतालों में एच.आई.वी./एड्स रोगियों में अवसरवादी संक्रमणों के निदान हेतु एच.आई.वी. पॉजीटिव व्यक्तियों को बी.पी.एल. मानते हुए मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से निःशुल्क दवा वितरण व चिकित्सकीय जांच की व्यवस्था की गई है।

8. **स्वास्थ्यकर्मियों हेतु बचाव** : एच.आई.वी./एड्स रोगियों के उपचार के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों को आकस्मिक एक्सपोजर के बाद एच.आई.वी. संक्रमण से बचाने हेतु एन्टीरिट्रो वायरल दवा की उपलब्धता (पी.ई.पी.) सभी एच.आई.वी. जांच केन्द्रों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला अस्पतालों में सुनिश्चित कराई गई है।

9. **कम्यूनिटी केयर सेन्टर** : एड्स रोगियों के उपचार हेतु राजस्थान में आठ (8) कम्यूनिटी केयर सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं। दस शैया वाले इन केन्द्रों में एड्स पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सकीय एवं मनो सामाजिक परामर्श सहित भोजन एवं आवासीय सुविधाऐं उपलब्ध कराई जा रही है। कम्यूनिटी केयर सेन्टर को आर्थिक सहायता पी.एफ.आई. द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

10. **ए.आर.टी. सेन्टर** : राज्य में पाँच ए.आर.टी. सेन्टर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर व कोटा में संचालित हैं साथ ही राज्य में 8 लिंक ए.आर.टी. सेन्टर भी कार्यरत है। यहाँ एड्स के मरीजों को एन्टी रिट्रो वायरल औषधियॉ निःशुल्क वितरित की जा रही हैं।

नवम्बर 09 तक ए.आर.वी. ड्रग ले रहे कुल व्यक्तियों की संख्या	पुरूष	महिला	बच्चें	अन्य
6202	3638	2167	393	4

11. **सेन्टीनल सर्वेलैन्स** : निश्चित अवधि, जगह व नमूनों के आधार पर प्रतिवर्ष एच.आई.वी. संक्रमण की दर ज्ञात करने हेतु चिन्हित चिकित्सा संस्थानों में सेम्पल सर्वे तीन माह की अवधि के लिये करवाया जाता है।

Sentinel Surveillance 2007-08		
1	Prevalence in ANC site	0.25%
2	Prevalence in STD site	1.92%
3	Prevalence in FSW site	4.16%

12. **सूचना, शिक्षा व संचार :** राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के तृतीय चरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रभावी एवं कारगर उपकरण है। एड्स जागरूकता अभियानों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में विभिन्न गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलाई जा रही है। नेशनल एड्स कन्ट्रोल संगठन द्वारा निर्देशित विभिन्न दिवसों यथा रक्तदाता दिवस, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व युवा दिवस, विश्व एड्स दिवस इत्यादि राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित किये जाते हैं। प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक माध्यम से (समाचार पत्र–पत्रिकाऐं, रेडियो, दूरदर्शन) एड्स नियन्त्रण अभियान, प्रोमो, फोन इन प्रोग्राम, विभिन्न विज्ञापनों के द्वारा प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। लोक कलाकारों के माध्यम से स्थानीय भाषा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, पारम्परिक मेलों एवं त्यौहार में एड्स जन–चेतना हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन एवं आई.ई.सी. सामग्री का वितरण किया जाता है।

13. **स्टेट लेवल रेडरसल ग्रीवेन्स कमेटी** - राजस्थान में एच.आई.वी./एड्स से पीडित व्यक्तियों को "छूआछूत एवं भेदभाव" (Stigma and Discrimination) से बचाने व इनके निवारण के लिये स्टेट लेवल रेडरसल ग्रीवेन्स कमेटी का गठन किया गया है।

14. **EQAS** : - External Quality Assurance Scheme के तहत् एच.आई.वी/एड्स सम्बन्धी जांच की गुणवत्ता को कायम रखने हेतु चिन्हित एस.आर.एल. में जांच केन्द्र प्रभारी एवं तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही जांच रिपोर्ट को क्वालिटी चेक हेतु स्टेट रैफरल लेबोरेट्री तथा नेशनल रैफरल लैबोरेट्री स्तर पर भेजे जाते है।

15. **मुख्य धारा परियोजना** : राष्ट्रीय स्तर पर एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम हेतु समेंकित प्रयासों की आवश्यकता को देखते हुये राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के तृतीय चरण में मेनस्ट्रिमिंग के तहत् एच.आई.वी./एड्स मुद्दे को संस्थाओं एव विभागों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित करने तथा उनकी विभिन्न नीतियों में एच. आई.वी. विषय को सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है। 13 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में यह परियोजना चलाई जा रही है। इसी के अन्तर्गत राजस्थान के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के लगभग 1545 कर्मचारियों, राज्य सरकार के लगभग 3120 विभिन्न स्तर के कर्मचारियों एवं 324 गैर सरकारी संस्थाओं के 7263 फ्रन्टलाईन वर्कस (आंगनबाडी वर्कस, ए.एन.एम. एवं आशा) को एच.आई.वी./एड्स एवं मेनस्ट्रिमिंग विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया तथा दो प्रवासी सूचना केन्द्र बाडमेर व जयपुर जिलों में प्रारम्भ किये गये है व राज्य के 7 जिलों में लिंक वर्कर स्कीम चलाई जा रही है।
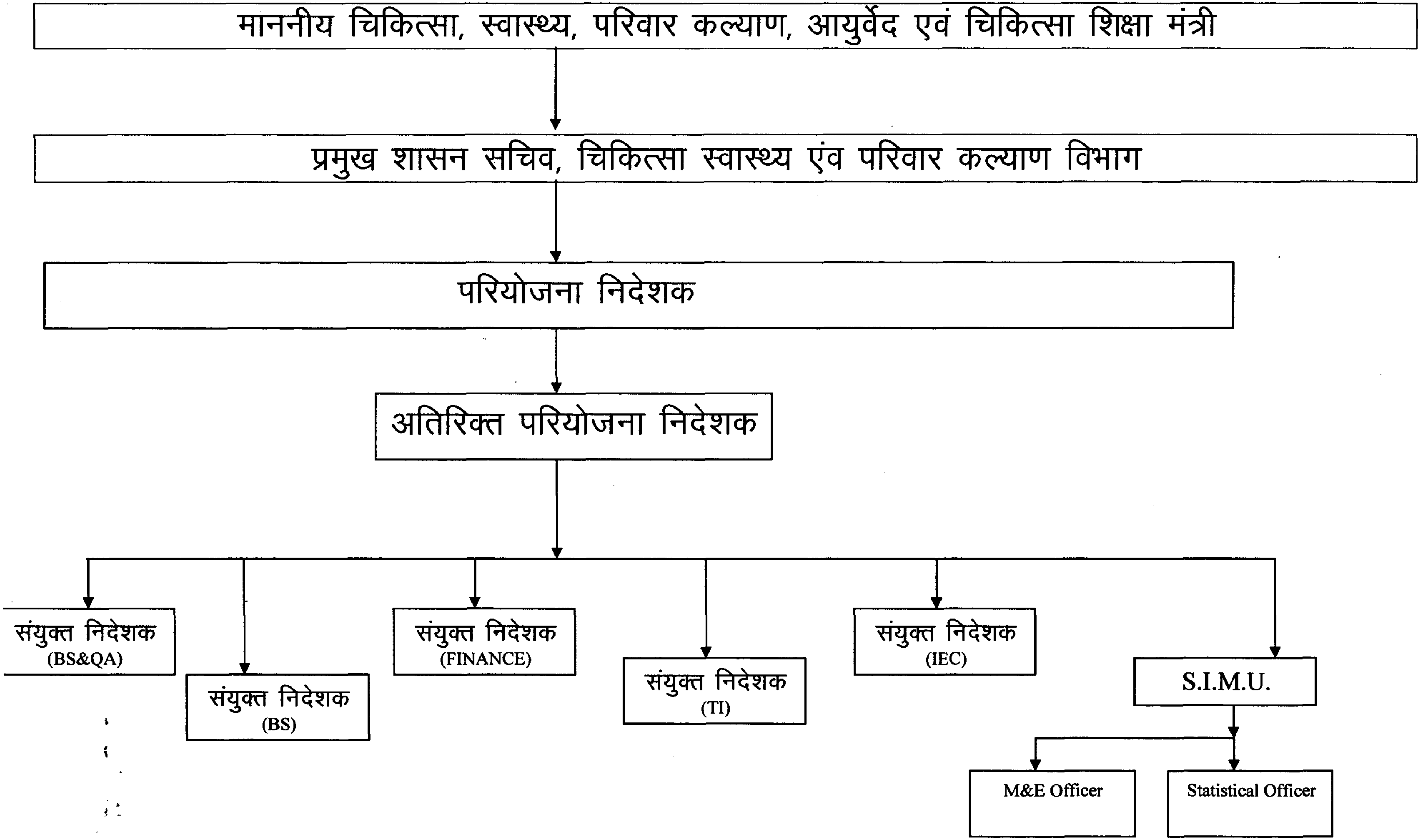
राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी का प्रशासनिक ढांचा